संख्या-61/2026/I/1301995/2026/001-71-2099-647-2020

प्रेषक,

कृतिका शर्मा,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।

2- निदेशक,
एस0जी0पी0जी0आई0एम0एस0,
लखनऊ।

3- निदेशक,
कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।

4- निदेशक,
सी0बी0एम0आर0,
लखनऊ।

5- कुलसचिव,
के0जी0एम0यू0,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक-20-04-2026**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2026-27 में चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थानों के कार्मिकों हेतु वेतन मद में धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थानों हेतु अनुदान संख्या-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद के अन्तर्गत वेतन मद की समस्त धनराशि अवमुक्त करते हुए कुलसचिव/निदेशक के निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित तालिकानुसार निम्न शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं-

(रू0 लाख में)

क्र0सं0	चिकित्सा संस्थान/चिकित्सा विश्वविद्यालय	प्राविधानित धनराशि	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।	97500.00	97500.00
2	संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	90000.00	90000.00
3	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	37500.00	37500.00
4	कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।	7000.00	7000.00
5	सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।	1000.00	1000.00

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

1. स्वीकृत की जा रही धनराशि आहरित कर डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यशकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. कुलसचिव, चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ/निदेशक, चिकित्सा संस्थानों, लखनऊ एवं वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक-28/03/ 2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व/वित्त नियंत्रक/निदेशक, संस्थान का होगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी, चिकित्सा विश्वविद्यालय/चिकित्सा संस्थानों द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **लेखाशीर्ष:** 2210051050308 (कैंसर संस्थान, लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	2210051050308 कैंसर संस्थान, लखनऊ	31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	70,00,00,000 (रुपये सत्तर करोड़ मात्र)
	कुल			**70,00,00,000** **(रुपये सत्तर करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050309 (संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	2210051050309 संजय गांधी स्नातकोत्तर आर्युविज्ञान संस्थान लखनऊ	31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	9,00,00,00,000 (रुपये नौ अरब मात्र)
	कुल			**9,00,00,00,000** **(रुपये नौ अरब मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050312 (सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	2210051050312 सेन्टर ऑफ बॉयोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ	31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	10,00,00,000 (रुपये दस करोड़ मात्र)
	कुल			**10,00,00,000** **(रुपये दस करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050325 (डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	2210051050325 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ	31 सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	3,75,00,00,000 (रुपये तीन अरब पचहत्तर करोड़ मात्र)
	कुल			**3,75,00,00,000** **(रुपये तीन अरब पचहत्तर करोड़ मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050366 (किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	031	2210051050366	31	9,75,00,00,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश	सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	(रुपये नौ अरब पचहत्तर करोड़ मात्र)
	कुल			**9,75,00,00,000 (रुपये नौ अरब पचहत्तर करोड़ मात्र)**
महायोग				23,30,00,00,000 (रुपये तेईस अरब तीस करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृतिका शर्मा)
विशेष सचिव।

संख्या-61/2026/1/1301995/2026/001-71-2099-647-2020 , तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ/प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
7. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त अधिकारी, किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0 लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
10. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ
11. वित्त अधिकारी, कल्याण सिंह सुपर स्पेशियलिटी कैंसर संस्थान, लखनऊ।
12. वित्त नियंत्रक, सेन्टर ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च, लखनऊ।
13. वित्त ई-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।